

प्रेषक,

जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी,
बागपत।

सेवा में,

प्रबन्धक,
दिल्ली पब्लिक स्कूल, डूडाहेडा,
खेकडा(बागपत)

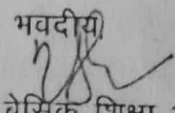
पत्रांक-शि0स0/ 14545 /2017-18 दिनांक- 28-03-2018

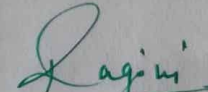
विषय-कक्षा नर्सरी कक्षा आठ (अंग्रेजी माध्यम) की स्थायी मान्यता प्रदान करने के संबंध में।
महोदय,

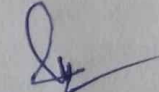
उपर्युक्त विषयक आप अपने पत्र संख्या/003/18 दिनांक 11/1/2018 का सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें। उक्त पत्र आपने अपने विद्यालय को स्थायी मान्यता हेतु पत्र निर्गत करने के संबंध में अनुरोध किया गया है। इसी क्रम में तत्कालीन जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी, बागपत द्वारा कार्यालय के पत्रांक संख्या/शि0स0/11392-93/2014-15 दिनांक 31/3/2015 के द्वारा आपसे विद्यालय को तीन वर्षों की अवधि हेतु मान्यता हेतु पत्र निर्गत किया गया था।

तदनुक्रम में शासनादेश संख्या-419/79-6-2013-18(20)/91 शिक्षा अनुभाग-5 लखनऊ दिनांक 08 मई 2013 के पैरा 15 में निम्नवत् व्यवस्था है कि- "प्रथमतया निर्धारित प्रारूप पर नियमावली में उल्लिखित प्राविधानों के दृष्टिगत औपबन्धिक मान्यता तीन वर्ष के लिए दी जायेगी। इस अवधि में मान्यता की शर्तों के उल्लंघन से सम्बन्धित यदि कोई प्रतिकूल तथ्य संज्ञानित नहीं होता है तो तीन वर्ष की अवधि पूरी होने पर यह मान लिया जायेगा कि विद्यालय को स्थायी मान्यता प्राप्त हो गयी है"। अतः आप उक्त से अवगत होने का कष्ट करें।

भवदीय,


जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी,
बागपत।


Ragini Chaudhary
Principal
Delhi Public School


Manager
Delhi Public School Baghpat

प्रेषक,

जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी,
बागपत।

सेवा में,

प्रबन्धक,
दिल्ली पब्लिक स्कूल बागपत
ग्रा0व पो0 डुण्डाहेड़ा विकास क्षेत्र खेकड़ा
जनपद बागपत।

दिनांक: 31-03-2015

पत्रांक: शि0स0 / 11392-93 / 2014-15

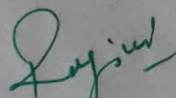
विषय: निशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा अधिकार अधिनियम, 2009 की धारा 18 के प्रयोजन के लिए नि:शुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा अधिकार नियम, 2010 के नियम 15 के उपनियम (4) के अधीन विद्यालय के लिए मान्यता प्रमाण-पत्र।

महोदय/महोदया,

आपके वर्ष 2014-15 के आवेदन और इस सम्बन्ध में विद्यालय के साथ पश्चात्पूर्ती पत्राचार तथा श्री वेदप्रकाश गुप्ता खण्ड शिक्षा अधिकारी खेकड़ा के निरीक्षण एवं मण्डलीय सहायक शिक्षा निदेशक(बेसिक) प्रथम मण्डल मेरठ की अध्यक्षता वाली गठित मान्यता समिति में लिए गये निर्णय के प्रति दिये गये निर्देश से, मैं दिल्ली पब्लिक स्कूल बागपत ग्रा0व पो0 डुण्डाहेड़ा विकास क्षेत्र खेकड़ा, (बागपत) को तारीख 31.03.2015 से 30.03.2018 तारीख तक तीन वर्ष की अवधि के लिए कक्षा नर्सरी से कक्षा 08 (आठ अंग्रेजी) तक के लिए अन्तिम मान्यता प्रदान करने की संसूचना देता हूँ।

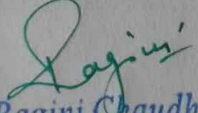
उपरोक्त मंजूरी निम्नलिखित शर्तों के पूरा किए जाने के अध्वधीन है :-

01. मान्यता की मंजूरी विस्तारणीय नहीं है और उसमें किसी भी रूप में कक्षा 8 के पश्चात मान्यता/संबंधन करने के लिए कोई बाध्यता विवक्षित नहीं है।
02. विद्यालय नि:शुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम, 2009 (उपाबंध 1) और नि:शुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार नियम, 2010 (उपाबंध 2) के उपबंधों का पालन करेगा।
03. विद्यालय कक्षा 1 में (या यथास्थिति नर्सरी कक्षा में) उस कक्षा में बालकों की संख्या के 25 प्रतिशत तक आस-पड़ोस के कमजोर वर्गों और सुविधा-विहीन समूह के बालकों को प्रवेश प्रदान करेगा और उन्हें नि:शुल्क और अनिवार्य प्राथमिक शिक्षा, उसके पूरा हो जाने तक उपलब्ध कराएगा।
04. पैरा 3 से निर्दिष्ट बालकों के लिए विद्यालय को अधिनियम की धारा 12 की उपधारा (2) के उपबंधों के अनुसार प्रतिपूरित किया जाएगा। ऐसी प्रतिपूरियां प्राप्त करने के लिए विद्यालय एक पृथक बैंक खाता रखेगा।
05. सोसाइटी/विद्यालय किसी कैपिटेशन शुल्क का संग्रहण नहीं करेगा और किसी बालक या उसके माता-पिता या संरक्षक को किसी स्क्रीनिंग प्रक्रिया के अध्वधीन नहीं करेगा।
06. विद्यालय किसी बालक को उसी आयु का सबूत न होने के कारण प्रवेश देने से इंकार नहीं करेगा और वह अधिनियम की धारा 15 के उपबंधों का पालन करेगा।


Ragini Chaudhary
Principal
Delhi Public School

Manager
Delhi Public School Baghpat

- (1) प्रवेश दिए गए किसी भी बालक को, विद्यालय में उसकी प्राथमिक शिक्षा पूरी होने तक, किसी कक्षा में फेल नहीं किया जाएगा या उसे विद्यालय से निष्कासित नहीं किया जाएगा।
 - (2) किसी भी बालक को शारीरिक दंड या मानसिक उत्पीड़न के अध्वधीन नहीं किया जाएगा।
 - (3) प्राथमिक शिक्षा पूरी होने तक किसी भी बालक से कोई बोर्ड परीक्षा उत्तीर्ण करने की अपेक्षा नहीं की जाएगी।
 - (4) प्रारम्भिक शिक्षा पूरी करने वाले प्रत्येक बालक को नियम 25 के अधीन अधिकथित किए गये अनुसार एक प्रमाण-पत्र प्रदान किया जाएगा।
 - (5) अनिधनियम के उपबंध के अनुसार निःशक्तता ग्रस्त/विशेष आवश्यकताओं वाले विद्यार्थियों को प्रवेश दिया गया जाना।
 - (6) अध्यापकों की भर्ती अधिनियम की धारा 23 (1) के अधीन यथा अधिकथित न्यूनतम अर्हताओं के साथ की जाती है। परन्तु यह और कि विद्यमान अध्यापक, जिनके पास इस अधिनियम के प्रारम्भ पर न्यूनतम अर्हताएं नहीं हैं, पांच वर्ष की अवधि के भीतर ऐसी न्यूनतम अर्हताएं अर्जित करेंगे।
 - (7) अध्यापक अधिनियम की धारा 24 (1) के अधीन विनिर्दिष्ट अपने कर्तव्यों का पालन करता है और
 - (8) अध्यापक स्वयं को किसी निजी अध्यापन क्रियाकलापों में नियोजित नहीं करेंगे।
07. विद्यालय समुचित प्राधिकारी द्वारा अधिकथित पाठ्यचर्चा के आधार पर पाठ्यक्रम का पालन करेगा।
08. विद्यालय अधिनियम की धारा 19 में यथा विनिर्दिष्ट विद्यालय के मानकों और संनियमों को बनाए रखेगा। सम्बंधित खण्ड शिक्षा अधिकारी की अंतिम निरीक्षण के समय रिपोर्ट की गयी प्रसुविधाएं निम्नानुसार पत्रावली में अंकित हैं:-
- अधोदस्ताक्षरी कार्यालय के पत्रावली में दिनांक 18-3-2015 के द्वारा A.D.(B) मेटर कार्यालय में प्रेषित पत्रावली में जांच अधिकारी की शाब्दावली प्रसुविधाओं का विवरण अंकित है।
- विद्यालय परिसर का क्षेत्रफल 11007/2014-15 दिनांक 18-3-2015
- कुल निर्मित क्षेत्र के द्वारा A.D.(B) मेटर कार्यालय में प्रेषित
- क्रीड़ा स्थल का क्षेत्रफल पत्रावली में जांच अधिकारी की शाब्दावली
- कक्षाओं की संख्या प्रसुविधाओं का विवरण अंकित है
- प्राध्यापक-सह-कार्यालय-सह-भांडागार के लिए कक्षा प्रसुविधाओं का विवरण अंकित है
- बालक और बालिकाओं के लिए पृथक शौचालय
- पेयजल सुविधा
- मिड-डे-मील पकाने के लिए रसोई
- बाधा रहित पहुंच
- अध्यापन पठन सामग्री/क्रीड़ा खेलकूद उपस्कारों/पुस्तकालय की उपलब्धता
09. विद्यालय के परिसरों के भीतर या उसके बाहर विद्यालय के नाम से कोई गैर-मान्यता प्राप्त कक्षाएं नहीं चलाई जाएंगी।
10. विद्यालय भवनों या अन्य संरचनाओं या क्रीड़ा-स्थल का प्रयोग केवल शिक्षा और कौशल विकास के प्रयोजनों के लिए किया जाता है।
11. विद्यालय को सोसाईटी रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1860 (1860 का 21) के अधीन रजिस्ट्रीकृत किसी सोसाईटी द्वारा या तत्समय प्रवृत्त किसी विधि के अधीन गठित किसी लोक न्यास द्वारा चलाया जा रहा है।


Ragini Chaudhary
Principal
Delhi Public School


Manager
Delhi Public School Baghpat

12. स्कूल को किसी व्यक्ति, व्यक्तियों के समूह या संगम या किन्हीं अन्य व्यक्तियों के लाभ के लिए नहीं चलाया जा रहा है।
13. विद्यालय के लेखाओं की किसी चार्टर्ड अकाउंटेंट द्वारा संपरीक्षा की जानी चाहिए और उसके द्वारा प्रमाणित किया जाना चाहिए तथा उचित लेखा विवरण नियमों के अनुसार तैयार किए जाना चाहिए। प्रत्येक लेखा विवरण की एक प्रति प्रत्येक वर्ष जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी को भेजी जानी चाहिए।
14. आपके विद्यालय को आवंटित मान्यता कोड संख्यांक 2014-15 UPS अग्रेजी-11... हैं। कृपया इसे नोट कर ले और इस कार्यालय के साथ किसी पत्राचार के लिए इस संख्यांक का उल्लेख करें।
15. विद्यालय ऐसी रिपोर्ट और सूचना प्रस्तुत करता है जो समय-समय पर शिक्षा निर्देश/जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी द्वारा अपेक्षित हो और समुचित सरकार/स्थानीय प्राधिकारी केवल अनुदेशों का पालन करता है, जो मान्यता संबंधी शर्तों के सतत् अनुपालन को सुनिश्चित करने या विद्यालय के कार्यकरण की कर्मियों को दूर करने के लिए जारी किए जाएं।
16. सोसाईटी के रजिस्ट्रीकरण के नवीकरण, यदि कोई हो को सुनिश्चित किया जाए।
17. आप द्वारा प्रस्तुत अभिलेखों एवं तथ्यों के आधार पर मान्यता प्रदान की गयी है। यदि आप द्वारा कूट रचित अभिलेख एवं तथ्य प्रस्तुत कर मान्यता प्राप्त की है, तो कूट रचना संज्ञान में आने पर अथवा विभागीय नियमों का पालन न करने के कारण विभाग द्वारा प्रदान की गयी मान्यता बिना किसी पूर्व सूचना के समाप्त कर दी जायेगी।
18. प्रति छात्र-छात्राओं को बैठने हेतु 09 वर्गमीटर का स्थान उपलब्ध कराया जाये।
19. मान्यता पत्रावली में सलग्न समस्त पत्राजात के सत्य होने का दस रुपये का नोटरी शपथ पत्र खण्ड शिक्षा अधिकारी के माध्यम से अद्योहस्ताक्षरी को उपलब्ध कराये।

भवदीय
31-03-15
(डा०एम०पी०सिंह)

जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी,
बागपत।

पृ०स०: शि०स०/
प्रतिलिपि:-

/2014-15

तद दिनोंक।

01. खण्ड शिक्षा अधिकारी, खेकड़ा को इस निर्देश के साथ प्रेषित कि सम्बन्धित विद्यालय के भवन तथा पत्रावली में सलग्न पत्राजातों/अभिलेखों का मूल प्रति से मिलान करते हुए विद्यालय को नियमानुसार संचालन कराये।

जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी,
बागपत।

Ragini Chaudhary
Ragini Chaudhary
Principal
Delhi Public School

Manager
Delhi Public School Baghat